

वैश्विक न्यूनतम कर सौदा

प्रलिस के लयः

वैश्विक न्यूनतम कर सौदा

मेन्स के लयः

वैश्विक स्तर पर कर संबंघतऱ अनयऱमतऱता के कारण और सऱऱाधान हेतु कयऱ गए प्रयऱस

चरुा में कयों?

हाल ही में [आरुथकऱ सऱहयऱग और वकऱस संगठन \(OECD\)](#) ने घऱषणा कऱ है कऱ बड़ी कंऱनयों को 15% की वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) दर का ढुगतऱन सुनशऱचतऱ करने के लयऱ 136 देशों (ऱरत सहतऱ) दवऱरऱ सऱहमतऱ वऱकत कऱ गई है ।

- सऱऱझऱता करने वऱले देश वैश्विक अरुथवऱवसुथा का 90% से अधकऱ हसऱसे का प्रतऱनऱधऱतऱव करते हैं ।



A look at how the global minimum tax will work

that go untaxed or lightly taxed in one of the world's tax havens, their home country will impose a top-up tax that will bring the rate to 15%

SOURCE: AP

- Countries will legislate a global minimum corporate tax rate of at least 15% for companies with annual revenues more than \$864 billion
- If companies have earnings
- Out of the 140 countries involved, 136 supported the deal. Kenya, Nigeria, Pakistan and Sri Lanka have abstained for now
- According to some developing countries and advocacy groups, the 15% rate is too low and leaves far too much potential tax revenue on the table

प्रऱऱुख ढदऱ

- GMT के ढारे में:
 - उददेशऱ:** GMT को दुनयऱ के कुऱ सऱसे ढड़े नऱगऱऱों दवऱरऱ कर की कऱ प्रऱऱऱवी दरों को संबऱधतऱ करने के लयऱ तैयऱर कयऱ गयऱ है, जसऱमें ँऱऱऱ, अलऱऱऱऱेट और फेसऱऱुक जैसी ढड़ी टेक कंऱनयों शऱऱलऱ हैं ।

- ये कंपनियों आमतौर पर प्रमुख बाजारों से **कम कर वाले देशों या टैक्स हैवन जैसे-** आयरलैंड, ब्रिटिश वर्जनि आइलैंड्स, बहामास या पनामा आदि में मुनाफे को बढ़ाने के लिये सहायक कंपनियों की स्थापना करती हैं।
- GMT का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNE) के लिये लाभ स्थानांतरण में शामिल होने के अवसरों पर रोक लगाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ वे व्यापार करते हैं वहाँ अपने कुछ करों का भुगतान करें।
- **प्रस्तावित दो स्तंभ समाधान:** वैश्विक न्यूनतम कर की दर वैश्विक स्तर पर बकिरी में 868 मिलियन डॉलर के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक मुनाफे पर लागू होगी।
 - **स्तंभ 1 (न्यूनतम कर और कर नियमों के अधीन):** सरकारें अभी जो भी स्थानीय कॉर्पोरेट कर की दर चाहती हैं, नरिधारित कर सकती हैं, लेकिन अगर कंपनियाँ किसी विशेष देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी गृह सरकारें अपने करों को न्यूनतम 15% तक आरोपित कर सकती हैं। इसका उद्देश्य मुनाफे को स्थानांतरित करने से प्राप्त होने वाले लाभ को समाप्त करना है।
 - **स्तंभ 2 (बाजार के अधिकार क्षेत्र में लाभ के अतिरिक्त हिस्से का पुनः आवंटन):** यह उन देशों को, जहाँ लाभ अर्जित किया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अतिरिक्त आय (राजस्व के 10% से अधिक लाभ) पर 25% कर लगाने की अनुमति देता है।
- **समयसीमा:** यह समझौता हस्ताक्षर करने वाले देशों को वर्ष 2022 तक इस पर कानून बनाने का आह्वान करता है ताकि यह समझौता 2023 से प्रभावी हो सके।
 - हाल के वर्षों में जिन देशों ने राष्ट्रीय डिजिटल सेवा कर (उदाहरण के लिये भारत सरकार द्वारा लगाई जाने वाली **इकवलाइजेशन लेवी**) लगाया है, उन्हें नरिस्त करना होगा।
- **प्रभाव:** न्यूनतम कर और अन्य प्रावधानों का उद्देश्य वैश्विक नविश को आकर्षित करने के लिये सरकारों के बीच दशकों से चल रही कर प्रतस्पर्द्धा को समाप्त करना है।
 - अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह सौदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश स्थिति मुख्यालय में पूंजी प्रत्यावर्तित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा, जिससे उन अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- **GMT की आवश्यकता:**
 - **टैक्स हैवन के लिये वित्तीय डायवर्जन को रोकना:** ड्रग पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा पर रॉयल्टी जैसे अमूर्त स्रोतों से आय तेज़ी से टैक्स हैवन में चली गई है, जिससे कंपनियों को अपने देशों में उच्च करों का भुगतान करने से बचने की अनुमति मिली है।
 - **वित्तीय संसाधन जुटाना:** कोवडि-19 संकट के बाद बजट में तनाव के साथ कई सरकारें चाहती हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे को कर राजस्व कम कर अपने देशों में स्थानांतरण को हतोत्साहित किया जाए।
 - OECD ने अनुमान लगाया है कि न्यूनतम कर के माध्यम से सालाना अतिरिक्त वैश्विक कर राजस्व में \$150 बिलियन का लाभ होगा।
 - **वैश्विक कर सुधार: बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)** कार्यक्रम की स्थापना के बाद से GMT का प्रस्ताव वैश्विक कराधान सुधारों की दृष्टि में एक और सकारात्मक कदम है।
 - BEPS कर से बचने की रणनीतियों को संदर्भित करता है जो कर नियमों में अंतराल और बेमेल का फायदा उठाते हैं ताकि मुनाफे को कम या बना कर वाले स्थानों पर कृत्रिम रूप से स्थानांतरित किया जा सके। OECD ने इससे निपटने के लिये 15 कार्य मर्दें जारी की हैं।
- **संबंध चुनौतियाँ:**
 - **आसन्न संप्रभुता:** यह एक राष्ट्र की कर नीतित्तिय करने के संप्रभु अधिकार को प्रभावित करता है।
 - एक वैश्विक न्यूनतम दर अनिवार्य रूप से एक ऐसे उपकरण से दूर ले जाएगी जिसका उपयोग देश उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिये करते हैं जो उनके अनुरूप हैं।
 - **टाइट टाइमलाइन:** समझौता करने वाले देशों में वर्ष 2022 में ही नया कानून बनाने का आह्वान किया गया है जिससे इस समझौते को वर्ष 2023 से प्रभावी किया जा सके, इतने सीमति समय में ही समझौता लागू करना एक कठिन काम है।
 - **प्रभावशीलता का प्रश्न:**
 - ऑक्सफैम जैसे समूहों ने इस समझौते की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे टैक्स हैवन का अंत नहीं हो सकेगा।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

- OECD एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।
- **स्थापना:** 1961
- **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस
- **कुल सदस्य:** 36
- भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

